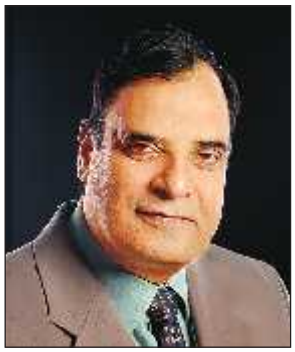

आलोक मेहता

बंदूकों के साये में बंगला बने न्यारा

महात्मा गांधी ने जनवरी 1948 में अपने निजी सचिव वी. कल्याणम से कहा था- 'जो व्यक्ति सशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था चाहता है, उसे जीने का हक नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मेरे पास आने वालों की तलाशी लेने की व्यवस्था पर सहमति की अपेक्षा अपनी प्रार्थना सभा बंद करना उचित समझूंगा।' इस कठोर निर्णय के कारण ही आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल लाख चाहने पर भी महात्मा गांधी के किसी भी परिसर के इर्द-गिर्द सिपाही तैनात नहीं कर सके थे। गांधीजी का मानना था कि जीवन ईश्वर के हाथों में है और जब मृत्यु आएगी, तो कोई बड़ी सावधानी तथा सुरक्षा व्यवस्था उसे नहीं रोक पाएगी। नेहरू से इंदिरा गांधी तक प्रधानमंत्रियों और गृह मंत्रियों के आसपास न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। अपनी पत्रकारिता के 1971 से 1984 तक के दौर में ऐसे शीर्ष नेताओं के बंगले पर पहुंचने पर किसी तरह की तलाशी का अनुभव मुझे नहीं हुआ। केवल सचिव या निजी सहायक से समय मांगने की जरूरत होती थी और थोड़ा इंतजार करना होता था। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री रहते हुए कभी-कभी पूर्व निर्धारित समय के बिना कुछ मिनटों के लिए सामने पहुंचने के अवसर मिल जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री या वरिष्ठ मंत्रियों की बात तो दूर, पार्टी अध्यक्षों, महासचिवों, मुख्यमंत्रियों, प्रभावशाली सांसदों के बंगलों के बाहर पांच मिनट खड़े रहने की इजाजत मिलना मुश्किल हो सकता है। स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस या उत्सव-त्योहार, विवाह कार्यक्रमों के दौरान भी एके-47 मशीनगन से लैस वर्दीधारियों का घेरा देखकर सामान्य जन तो आतंकित ही रहता है। सबसे महत्वूपर्ण मुद्दा यह है कि नेताओं को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की श्रेणी ऊंची करने की होड़ लगी रहती है। एक तरफ वे 'करोड़ों के हृदय सम्राट' और भारत ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की रेटिंग पर गौरवान्वित होते हैं, दूसरी तरफ जन सामान्य को दूर रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं।

अब प्रधानमंत्री या वरिष्ठ मंत्रियों की बात तो दूर, पार्टी अध्यक्षों, महासचिवों, मुख्यमंत्रियों, प्रभावशाली सांसदों के बंगलों के बाहर पांच मिनट खड़े रहने की इजाजत मिलना मुश्किल हो सकता है। स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस या उत्सव-त्योहार, विवाह कार्यक्रमों के दौरान भी एके-47 मशीनगन से लैस वर्दीधारियों का घेरा देखकर सामान्य जन तो आतंकित ही रहता है। सबसे महत्वूपर्ण मुद्दा यह है कि नेताओं को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की श्रेणी ऊंची करने की होड़ लगी रहती है। एक तरफ वे 'करोड़ों के हृदय सम्राट' और भारत ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की रेटिंग पर गौरवान्वित होते हैं, दूसरी तरफ जन सामान्य को दूर रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं।

आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर या माओवादी हिंसाग्रस्त कुछ क्षेत्रों में नेताओं, अधिकारियों या नागरिकों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत समझी जा सकती है, लेकिन दिल्ली, मुंबई के बंगलों और पांच सितारा होटलों तक में भारी भरकम प्रबंध की कितनी मजबूरी है। इच्छा क्या जनता को अपना रौब दिखाने की होती है? अनावश्यक सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने नवंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि 830 'अति विशिष्ट व्यक्तियों' (वी आई पी) के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों को हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की, सुरक्षाकर्मी मांगने वाले 'वी आई पी' सैकड़ों की संख्या में बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत के सामने यह भी स्वीकार किया कि इन 830 व्यक्तियों की ड्यूटी में लगे सिपाहियों पर लगभग 4 करोड़ 83 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। यही नहीं इन लोगों को सुरक्षा देने की आधिकारिक स्वीकृति भी नहीं रही है। मतलब ये 'महान वी आई पी' अन्य अधिकृत सुरक्षा प्राप्त नेताओं से अलग हैं। मतलब जहां जिसकी पहुंच और आधी-अधूरी सिफारिश हुई और सरकारी बंदूकधारी मिल गए। पराकाष्ठा यह है कि गंभीर अपराधों के मामले में फंसे राजनीतिक या सांप्रदायिक संगठनों के नेता भी सरकारी वीआईपी सुरक्षा पा जाते हैं। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया के अनुयायियों को 24 घंटे अपने आसपास खतरा ही अधिक दिखता है।

यों समाजवादी ही नहीं, नेहरू-इंदिरा के अनुयायी अनेक कांग्रेसी अथवा डॉ. हेडगेवार और श्यामाप्रसाद मुखर्जी अथवा बाबासाहेब अंबेडकर और कांशीराम के शिष्य-शिष्याओं को भी एके-47 और बख्तरबंद गाड़ियों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। लखनऊ में एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावतीजी अपने सुरक्षा दस्ते के साथ राज-भवन के सामने से निकलीं, तो मुझे पुलिस वालों ने निर्देश दिया कि सड़क के बजाय पीछे मुड़कर इमारत की तरफ मुंह करके खड़े रहें। जब तक काफिला निकले- सड़क के आसपास कोई इनसान नहीं दिखना चाहिये। बहन मायावतीजी अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ज्यादा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ नेताओं को अपने बंगलों की भव्यता की इच्छा बलवती रहती है। पिछले दिनों सूचना के अधिकार के तहत भारत सरकार से मिले पत्राचार से यह पता चला कि दिल्ली में बहन मायावती को सांसद के नाते मिले एक बड़े बगले के अलावा अपने करोड़ों रुपयों के कोष वाले 'बहुजन कल्याण केंद्र-बहुजन कल्याण कोष' के लिए सारे नियम-कानून को दरकिनार कर 24 बेडरूम, 12 सर्वेंट क्वार्टर्स, बड़ी कारों वाले 6 गैराज वाला 5,910 स्क्वायर फीट वाला न्यारा बंगला राष्ट्रपति भवन के पीछे रकाबगंज रोड पर दिया गया है। यह बंगला तीन बंगलों को मिलाकर किले जैसे परकोटे के निर्माण के साथ 'बहुजन कल्याण केंद्र' की अध्यक्ष के नाम दिया गया है। भारत के किसी प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली में ऐसे बंगलों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। केंद्र में बहनजी की सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के कुछ मंत्री और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बहनजी की 'कृपा' पाने के लिए सारे नियम कानून तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में भी बहन मायावती को कांग्रेस सरकार ने 'क्लीन चिट' दे दी। यही नहीं पिछले दिनों आय कर विभाग ने बहनजी के एक भाई को अपने बैंक खाते से 400 करोड़ रुपये का उपयोग करने की छूट दे दी। आय कर विभाग ने कतिपय गड़बड़ियों के आधार पर 'भ्राताश्री' के बैंक खातों को सील कर दिया था। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहने वाले मायावती परिवार को जानने वाले बताते रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में पहुंचने से पहले यह परिवार सचमुच अति सामान्य 'बहुजन' आय श्रेणी में जीवन-यापन करता था। कुछ दशकों में 'भ्राता-भगिनी' के पास अरबों रुपयों का साम्राज्य हो गया। इसलिए स्वाभाविक है कि अपने महलों के लिए अधिकाधिक बंदूकों के साये की जरूरत होगी। जय समाजवाद, जय अंबेडकर, जय कांशीराम।

alokmehta7@hotmail.com